न्यायालय उपखण्डअधिकारी,अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :—पवन कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—84 / 2020

गुरचरणसिंह पुत्र बचनसिंह जाति जटसिख उम्र 78 वर्ष निवासी चक 59 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर हाल निवासी पत्ती सुनीता, दाखां तहसील व जिला लुधियाना (पंजाब) आधार नम्बर 455624111847

--- **वादी**

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)

----**प्रतिवादी**

वाद पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

::निर्णय:: **दिनांक—02 / 07 / 2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक 59 जीबी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं—20 नम्बर सं.—244 / 446 का किला नम्बर 8ता25 की कुल 4.035 हैक्टर नहरी / बारानी खातेदारी वादी एवं वादी के भाई हरनेक सिंह के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वादी का 1 / 2 हिस्सा संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वादी का 1 / 2 हिस्सा संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। उक्त कृषि भूमि वादी व वादी के भाई हरनेकसिंह के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हुई थी। जिसमे वादी का 1 / 2 हिस्सा है जो निरन्तर वादी के अधिकार एवं अधिपत्य मे चली आ रही है। वादी सह खातेदार कृषक है। वादी के भाई हरनेक सिंह की मृत्यु हो चुकी है जिसकी वारिस उसकी पुत्री करमजीत कौर है। वादी का सही वा वास्तविक नाम गुरचरणसिंह पुत्र बचन सिंह है लेकिन उसका घरेलू नाम हरचरण होने के कारण वादी को घर में व रिश्तेदारी में दोनों नामों हरचरण व गुरचरणसिंह के नाम से जानते व पुकारते थे वादी परिवार जो ग्रामीण परिवेश का था व वादी भी ग्रामीण परिवेश का है वादी व उसके भाई हरनेकसिंह द्वारा उक्त कृषि भूमि का आवंटन करवाते समय सहबन से वादी का घरेलू नाम हरचरणसिह पुत्र बचनसिंह दर्ज कर दिया था। तत्पश्चात वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हरचरणसिंह पुत्र बचनसिंह के नाम से ही दर्ज हुआ जो कि एक सद्भाविक एवं मानवीय भूल है। वादी का सही वा वास्तविक नाम गुरचरणसिह पुत्र बचनसिह है। वादी के पहचान पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड जिनकी प्रतियॉं संलग्न वाद पत्र है में वादी का नाम गुरचरणसिंह पुत्र बचनसिंह ही दर्ज है लेकिन वादी के घर में वादी को उसके घरेलू नाम हरचरण से पुकारते थे इसलिए वादी के भाई द्वारा आवंटन के समय वादी का नाम हरचरणसिंह दर्ज करवा दिया था जबकि वादी का सही वा वास्तविक नाम गुरचरणसिंह ही है इस प्रकार हरचरणसिंह व गुरचरणसिंह वादी का ही नाम है तथा वादी को इन दोनों नामों से ही जाना व पुकारा जाता है। वादी अरसा पूर्व से पंजाब में निवास कर रहा है इसलिए वादी के समस्त कागजात पंजाब राज्य के बने हुए है वादी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। वादी को पूर्व में उक्त त्रुटि का कतई ज्ञान नहीं था अब वादी ... कृषि भूमि पर ऋण की पत्रावली तैयार करवाने के संबंध में अरसा 10 दिन पूर्व पटवारी हल्का से मिला तो उन्होंने रिकॉर्ड देखकर बताया कि आपका यानि गुरचरणसिंह का नाम दर्ज नही बल्कि आपका नाम रिकॉर्ड मे हरचरणसिंह दर्ज है। जिस पर वादी ने पटवारी हल्का को बताया कि उसका सही नाम गुरचरणसिंह है और घर पर उसे उसके घरेलू नाम हरचरण सिह के नाम से बुलाते है और हरचरणसिंह व गुरचरणसिंह दोनों नाम मेरे ही है तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त त्रुटि को दुरुस्त करवाने के लिए माननीय न्यायालय में चाराजोई करने के लिए कहा जिस पर वादी तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.01 14:32:34 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अनूपगढ़ के समक्ष उपस्थित हुआ तो उन्होंने कहा कि सक्षम न्यायालय में चाराजोई करें बस यही बिनाय दावा एवं बिनाय मुखासमत वाद पत्र है। वादी का सही व वास्तविक नाम गुरचरणसिंह पुत्र बचन सिंह है लेकिन सहबन से वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में उसका घरेलू नाम हरचरणसिंह दर्ज हो गया है जो एक सद्भाविक एवं माननीय भूल है वादी के राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजात मे नाम अलग–अलग होने के कारण वादी को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड मे वादी का नाम गलत रूप से हरचरणसिंह दर्ज है और अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेज निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड व अन्य दस्तावेजात में वादी का नाम गुरचरणसिंह दर्ज है। जिससे वादी को भविष्य में अपने हिस्सा की कृषि भूमि के संबंध में बैंक इत्यादि से लोन आदि लेने में वादी को काफी दिक्कत एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भी न्यायहित में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मे सहबन से गलत दर्ज हुए नाम को दुरूस्त किया जाकर सही नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। ताकि भविष्य में वादी को दो अलग–अलग नाम दर्ज होने के कारण किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और वादी अपने सही व वास्तविक नाम गुरचनणसिंह के नाम से ही अपनी उक्त कृषि भूम का उपयोग उपभोग कर सके इसलिए वादी माननीय न्यायालय से घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी एवं दावेदार है फलस्वरूप वादी को माननीय न्यायालय की शरण में आना पड़ रहा है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ़ से जवाब स्टेट प्राप्त किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनूपगढ़ चक 59 जीबी का मुरब्बा नं.–20 पत्थर सं. –244/446 के किला नं.–8ता25 की 4.035 हैक्टर नहरी/बारानी भूमि मुस्तरफा खाता में वादी के सहखातेदार के रूप में हरचरणसिंह पुत्र बचन सिंह जाति जटसिख के नाम से दर्ज है। प्रार्थी वर्तमान में यहां निवास नहीं करके पंजाब के लुधियाना जिले में निवास कर रहा है। प्रार्थी का नाम संलग्न दस्तावेजों में यदि गुरचरणसिंह पुत्र बचनासिंह का अंकन है तो नियमानुसार वादी के नाम के साथ उर्फ लगाया जाकर यानि हरचरण सिंह उर्फ गुरचरणसिंह पुत्र बचनसिंह किया किये जाने की अनुशंषा की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मेरे द्वारा मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज व रिपोर्ट पर मनन करने के पश्चात न्यायलय की राय में वादी का नाम हरचरण सिंह न होकर गुरचरणसिंह है। अतः वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में वादी का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर चक 59 जीबी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं–20 नम्बर सं.–244/446 का किला नम्बर 8ता25 की कुल 4.035 हैक्टर संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम हरचरणसिंह के स्थान पर हरचरण सिंह उर्फ गुरचरण सिंह का अंकन [illegible]। अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ को उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड [illegible] से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02/07/2021 को खुले न्यायालय में [illegible]या गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pavan Kumar
Date: 2021.08.01 14:32:34 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़